मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 16008 /22/वि–12/ग्रासप्रा/GMT-5/Maint/16 भोपाल, दिनांक 20/07/2016

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई......................,
(म.प्र.)

विषय :– ई–मार्ग में डाटा एण्ट्री एवं भुगतान प्रकिया के संबंध में।

––0––

ई–मार्ग के माध्यम से 5 वर्ष पश्चात संधारण की डाटा एण्ट्री के संबंध में प्रदेश कर सभी इकाईयों के अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। भोपाल संभाग मे 5 वर्ष पश्चात संधारण के भुगतान ई–मार्ग से किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण एवं भोपाल संभाग मे की जा रही भुगतान प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों द्वारा कुछ बिन्दुओं पर सुझाव प्राप्त हुए थे। प्राप्त सुझावों तथा संधारण संबंधी अन्य तथ्यों पर विचार कर निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. कुछ अधिकारियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया था कि, संधारण अवधि की गणना कार्यादेश की तिथि से न होकर कार्य स्थल हस्तांतरण की तिथि से होना चाहिए। इस संबंध में यह ज्ञात होना चाहिए कि, संधारण हेतु कार्य स्थल (मार्ग) हस्तांतरण में विलंब का कोई कारण नही हो सकता। यह अवगत कराया गया था कि, मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, संधारण अवधि समाप्ति के 6 माह पूर्व 5 वर्ष पश्चात संधारण के प्राक्कलन तैयार किये जाते हैं। जिससे कभी कभी निर्धारित अवधि समाप्ति के पूर्व ही 5 वर्ष पश्चात संधारण हेतु ऐजेंसी निर्धारित हो जाती है। इन परिस्थितियों में 5 वर्ष पश्चात संधारण अवधि की गणना वास्तविक कार्यस्थल हस्तांतरण की तिथि से होना चाहिए। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि, किसी भी मार्ग के लिए एक साथ दो संधारण अनुबंध कियाशील नही हो सकतें हैं। इसलिए उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में कार्यादेश उसी समय जारी किया जाना चाहिए जब मूल ठेकेदार को संधारण दायित्व से मुक्त कर दिया हो। वस्तुतः 5 वर्ष पश्चात संधारण हेतु उपरोक्त तथ्यों तथा निवेदित दरों की वैधता अवधि को ध्यान मे रखते हुए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जानी चाहिये।

   जिन इकाईयों में इस प्रकार कार्यवाही नही की गई हो वे पृथक से विवरण मुख्यालय प्रेषित कर ई–मार्ग प्रविष्टि में आवश्यक सुधार करायेगे। उससे पूर्व वे उस पैकेज में किसी भी प्रकार का भुगतान न करें।
2. इकाईयों द्वारा 5 वर्ष की मूल संधारण अवधि समाप्ति पर संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन को पोर्टल पर अपलोड करने में आ रही कठिनाईयों का उल्लेख किया गया है। इसके लिये निम्न प्रक्रिया का पालन करें–
   i. ऐसे पैकेज जिनमें मार्गों की संख्या अधिक है प्रत्येक मार्ग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन को अपलोड करनें में फाइल का आकार बढ़ जाता है, इसलिए अपलोडिंग में कठिनाई आती है। इस पत्र के साथ ई–मार्ग पर अपलोड किये जाने वाले प्रतिवेदन का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है, जिसमें एक ही प्रपत्र में पैकेज के सभी मार्गों का संधारण प्रमाणीकरण हो सकेगा।
   ii. कुछ पुराने पैकेजों में तत्समय संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान प्रभावी नही था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पैकेजों में ठेकेदार को संधारण दायित्व से मुक्त करते समय जारी किये जाने वाला प्रमाणपत्र अभिलेखों में उपलब्ध नही है। इनके लिए महाप्रबंधक तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक पत्र जारी कर अपलोड करेगें।

3. 5 वर्ष पश्चात संधारण के कुछ प्रकरणों मे आई.आर. के लिए पार्ट–4 आपातकालीन मद से राशि ट्रान्सफर की गई है। कुछ पैकेजों में इस प्रकार ट्रान्सफर की गई राशि पर टैन्डर प्रीमियम देय नही किया गया है। ई–मार्ग में इस प्रकार के आई.आर. कार्यों को पार्ट 4 के विरूद्व ही समायोजित किया जाए। ई–मार्ग पर देयक राशि एस.ओ.आर. पर ही दर्ज की जाती है एवं टैन्डर प्रीमियम पोर्टल पर स्वतः लागू हो जाती है अतः जिन पैकेजों में टैन्डर प्रीमियम लागू नही है उनमें पोर्टल में उल्लेखित राशि में से टैन्डर प्रीमियम की राशि विविध कटौती में दर्ज कर घटाई जाए।

4. रिन्यूवल कार्य के भुगतान मे Routine Inspection को अनिवार्य किया जा रहा है। किसी भी भाग मे रिन्यूवल कार्य के बाद फोटोग्राफ सहित Routine Inspection कर अपलोड करना होगा। Routine Inspection संतोषजनक होने पर ही भुगतान हो सकेगा। पोर्टल के Inspection module मे Routine Inspection, Performance evaluation एवं Renewal inspection अलग अलग प्रदर्शित होंगे।

पोर्टल पर कुछ अन्य बदलाव भी किये जा रहे हैं। इकाईयों द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार ठेकेदारों को पी.आई.यू. द्वारा किये गये निरीक्षण एवं अपलोड किये गये फोटोग्राफ के अवलोकन की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुतीकरण का एस.एम.एस. सहायक प्रबंधक/उपयंत्री को भी प्राप्त होगा। यह देखा गया है कि अधिकारी बहुत पुराने निरीक्षण अपलोड कर देते हैं, जो वास्तविक स्थिति को नही दर्शाते। इसलिये अब किसी भी निरीक्षण को निरीक्षण तिथि से एक माह तक ही अपलोड किया जा सकेगा। यह भी देखा गया है कि इकाइयों द्वारा केवल उन्हीं पैकेजों का विवरण ई–मार्ग पर अद्यतन किया जाता है जिनमे ठेकेदार को भुगतान किया जाना है। अन्य पैकेजों की डाटा एण्ट्री इकाइयों द्वारा पूर्ण नही की गई हैं। जिसके कारण GIS मे त्रुटिपूर्ण डाटा दिखाई पड़ता है। इकाइयां सभी मार्गों के संबंध में डाटा एण्ट्री पूर्ण करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए सभी इकाइयां **15 अगस्त 2016** तक डाटा एण्ट्री पूर्ण करें, अन्यथा डाटा एण्ट्री आपरेटर एवं संधारण प्रभारी सहायक प्रबंधक के अगस्त 2016 से वेतन का आहरण नही किया जा सकेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

19/7

(एम.के.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ. क्र. 16009/22/वि–12/ग्रासप्रा/GMT-5/Maint/16 भोपाल, दिनांक 20/07/2016

प्रतिलिपि :–

- मुख्य महाप्रबंधक, समस्त/वित्त म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा मध्य प्रदेश
- वरिष्ठ तकनीकि निदेशक, एन.आई.सी.,विंध्याचल भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
- प्रबंधक आई.टी., म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

–की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/7

प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

Joint Inspection Report of Road

Package No. ------------------ **Date of Inspection ---------------------**

Name of Contractor ----------------------

Date of Completion of performance guarantee --------------

S. N.	Name of Item/Activity	Condition of Road (S/U/SRI)			
		Road-1	**Raod-2**	**Road-3**	**Road-4**
1	Restoration of rain cuts and dressing of side slopes/berms as per clause 1902 of the MORD Specifications.				
2	Making up of berms/shoulders as per clause 1903 of the MORD Specifications including filling, compaction with approved material to match the surface with B T work and maintaining camber.				
3	Maintenance of Bituminous surface road and / or gravel road including filling pot holes and patch repairs etc. as per clause 1904, 1906 of the MORD Specifications.				
4	Maintenance of drains as per clause 1907 of the MORD Specifications.				
5	Maintenance of culverts and cause ways as per clause 1908 and 1909 of the MORD Specifications including clearing the openings, spout clearance , joint filling in C C pavement and repairing of structure if required and back filling with approved material.				
6	Maintenance of guard rails and parapet rails as per clause 1911 of the MORD Specifications.				
7	Maintenance of road signs, speed barker, standing trees adjacent to road where ever required as per clause 1910 of the MORD Specifications.				
8	Maintenance of 200 m and Kilo Meter stones as per clause 1912 of the MORD Specifications.				

S. N.	Name of Item/Activity	Condition of Road (S/U/SRI)			
		Road-1	**Raod-2**	**Road-3**	**Road-4**
9	Cutting of branches of trees, shrubs and trimming of grass and weeds etc. as per clause 1914 of the MORD Specifications.				
10	White washing parapets of C.D. Works				
11	Painting of guard stones				
12	Re-fixing displaced guard stones				
13	Overall Grade				
14	Remark if any				

In case of U or SRI in any then item, contractor has to do required rectifications within 20 days. The team will again inspect the road after rectification. The performance guarantee of the contractor will be released only on satisfactory condition.

Signature of Inspecting Officers with name & designation

Signature :---------------------

Name :-------------------------

Designation :-------------------

Signature :---------------------

Name :-------------------------

Designation :-------------------

Signature :---------------------

Name :-------------------------

Designation :-------------------

Signature :---------------------

Name :-------------------------

Designation :-------------------